

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
17 $\frac{12}{20}$	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज के उपरान्त भी वकील प्रार्थी अनु० हैं। पत्रावली दिनांक 25.03.21 को पेश हो।
25 $\frac{03}{21}$	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज के उपरान्त भी वकील प्रार्थी अनु०। पत्रावली में दिनांक 04-02-19 को दिये गए निर्देशों की अनुपालना में प्रार्थी पक्ष द्वारा रजि० A-D तत्त्वता प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी पक्ष प्रकरण में लगातार अनु० है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम है। तहसीलदार लिम्बेन सूरौठ को तहरीर जाती है। 25.03.2021 (सुरेश कुमार यादव) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करोली)

